भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

<u>प्रेस नोट</u>

सं.ईसीआई/पीएन/39/2017 **दिनांक: 12 मई, 2017**

विषय: ईवीएम/वीवीपीएटी तथा अन्य निर्वाचन सुधारों से संबंधित मामलों पर सभी राजनैतिक दलों की बैठक।

निर्वाचन अयोग ने निम्नलिखित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ आज संविधान क्लब, नई दिल्ली में बैठक आयोजित की:-

i) ईवीएम तथा वीवीपीएटी।
ii) निर्वाचनों में रिश्वत को संज्ञेय अपराध बनाना।
iii) निर्वाचनों में रिश्वत के अपराध के लिए आरोपों की विरचना पर निरर्हता।
iv) वीवीपीएटी पुनर्गणना नियमों पर सुझाव।

07 राष्ट्रीय दलों तथा **35** राज्यीय दलों ने बैठक में भाग लिया।

अपने उद्घाटन संबोधन में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डॉ.नसीम ज़ैदी ने सभी राजनैतिक दलों के योगदान का उल्लेख किया तथा बताया कि व्यवस्थित सुधारों एवं उत्तोत्तर उपायों का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियाओं में सुधार करना है सभी राजनैतिक दलों के सहयोग से प्रणालियां विकसित कर ली गई हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हाल ही में सम्पन्न उप-निर्वाचनों के दौरान भिन्ड एवं धौलपुर में ईवीएम से छेड-छाड के लगाए आरोपों की घटनाओं के बारे में कुछ राजनैतिक दलों द्वारा उठाए प्रश्नों को संदर्भित किया तथा दोहराया कि इन घटनाओं के बारे में आधारहीन धारणाएं बनाई गई थी तथा पक्षपातपूर्ण मतदान परिणाम का कोई मामला नहीं था।

आयोग ने तकनीक, प्रशासनिक नयाचार एवं प्रक्रियात्मक सुरक्षा की व्यापक रेंज पर प्रकाश डाला जो ईवीएम एवं वीवीपीएटी को किसी प्रकार की गडबडी या छेड़छाड़ की घटना के विरूद्ध सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि आयोग ईवीएम की अखण्डता एवं विश्वसनीयता में और अतिरिक्त सुधार कैसे किए जाएं संबंधी सुझावों को सुनने के लिए हमेशा तैयार है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी राजनैतिक प्रतिनिधियों को सूचित किया कि आयोग एक चुनौती रखेगा तथा राजनैतिक दलों को यह प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा कि हाल ही में सम्पन्न विधान सभाओं के निर्वाचनों में उपयोग की गई ईवीएमों से छेड़-छाड़ की गई थी या कि ईवीएम में निर्धारित तकनीक एवं प्रशासनिक सुरक्षा के अन्तर्गत भी छेड़-छाड़ की जा सकती है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उल्लेख किया कि आयोग संसदीय एवं राज्य विधान सभा निर्वाचनों के सभी भावी निर्वाचनों में वीवीपीएटी की **100%** कवरेज सुनिश्चित करेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली ईवीएम के प्रतिशत को उन वीवीपीएटी पर्चियों से गिना जाएगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही एक रूपरेखा तैयार करेगा। निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, आयोग ने निर्वाचनों के दौरान धन बल के दुरूपयोग तथा रिश्वतखोरी पर निर्वाचन सुधार के प्रस्ताव तैयार किए हैं। आयोग ने, राजनैतिक दलों के निधीयन में पारदर्शीता बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** में संशोधनों का प्रस्ताव भी तैयार किया है।

डॉ. नसीम ज़ैदी ने राजनैतिक दलों को निर्वाचनों के लिए सभी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरणों जैसे प्रथम स्तरीय जांच, ईवीएम/वीवीपीएटी/मतदान कार्मिकों का यादृच्छिीकरण, ईवीएम की तैयारी/ अभ्यर्थी सैटिंग, मॉक पोल, ईवीएम को मुहरबंद करने आदि में उनकी निरंतर तथा गुणात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया।

मुख्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग की सभी राजनैतिक दलों के प्रति निष्पक्ष छवि एवं समान दूरी अपनाने तथा किसी का पक्ष न लेने की बात संसूचित की जिसने वैश्विक समुदाय की नजरों में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।

श्री सुदीप जैन, महानिदेशक, भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें उन्होंने इसके सुरक्षित डिजाइन विशिष्टता, विकास प्रक्रिया, विभिन्न स्तरों पर पणधारियों की सहभागिता तथा ईवीएम सुरक्षित बनाने की प्रशासनिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एजेन्डा की प्रत्येक मदों पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए।

आयोग ने राजनैतिक दलों को आश्वासन दिया कि ईवीएम से संबंधित उनकी चिंताएं और आशंकाएं नोट कर ली गई हैं तथा आगामी चुनौतियों एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई के माध्यम से उन पर विधिवत रूप से विचार किया जाएगा एवं उन्हें हल किया जाएगा। अन्य निर्वाचन सुधारों के संबंध में उनके विचारों/सुझावों पर विचार किया जाएगा तथा उपयुक्त रूप से आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

ह/-
(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक